**बिहार विधान परिषद** **दैनिक विवरणिका**

संख्या- 4 सत्र- 190वां

**सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख**
**बृहस्पतिवार, दिनांक 29.11.2018 ई.**

**माननीय कार्यकारी सभापति श्री मो. हारूण रशीद की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।**

**12.00 मध्याह्न से 2.40 अपराह्न तक**

सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही माननीय सदस्यगण, डा. रामचन्द्र पूर्वे, डा. दिलीप कुमार चौधरी, श्री संजय प्रकाश एवं श्री प्रेमचन्द्र मिश्रा सहित कई माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखनी चाही। माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने बारी-बारी से माननीय सदस्यों को अपनी बात रखने का आग्रह किया।

**1. आसन को सूचना**

माननीय सदस्य, श्री संजय प्रकाश ने आसन को एक पत्रिका का हवाला देते हुए सूचित किया कि बिहार पहले अपराध पर नियंत्रण के मामले में 20वें स्थान पर था जो अब दूसरे स्थान पर आ गया है इसके लिए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री तथा पूरी सरकार को बधाई दी तथा कहा कि इससे पूरा राज्य बहुत गौरवान्वित हो रहा है।

माननीय सदस्य, डा. दिलीप कुमार चौधरी ने आसन को सूचना दी कि विगत 24 तारीख से मदरसा के शिक्षक धरना पर बैठे हुए हैं और उनकी मांगें जायज हैं, सरकार भी सहमत है इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और वैसे अल्पसंख्यक शिक्षकों के मामले को आप संज्ञान में लेने की कृपा करें और शिक्षा मंत्री

जी को आग्रह कीजिए कि वे उनके साथ बैठकर, उनसे बात करके उनकी जो समस्या है, उसका निदान करें।

**2. निलंबित माननीय सदस्यों के निलंबन वापसी का प्रस्ताव, सदन द्वारा इसकी स्वीकृति तथा उन्हें सदन में आमंत्रित करने का निर्णय**

माननीय सदस्य, श्री केदारनाथ पाण्डेय ने प्रस्ताव किया कि कल दिनांक 28.11.2018 को सदन में जो कुछ अप्रिय बातें हुईं, उसके लिए मैं दोनों पक्ष की ओर से खेद प्रकट करता हूं। आपसे मेरा अनुरोध है कि कल उत्पन्न हुई परस्थिति के आलोक में आसन द्वारा जिन 5 (पांच) माननीय सदस्यों सर्वश्री सुबोध कुमार, मो. कमर आलम, दिलीप राय, सैयद खुर्शीद मोहम्मद एवं राधाचरण साह को शेष कार्य दिवसों के लिए निलंबित किया गया था, उनका निलंबन वापस ले लिया जाता तो अच्छा होता। मेरा अनुरोध है कि आसन इस पर विचार करने की कृपा करे।

इसपर माननीय सभापति महोदय ने सदन की स्वीकृति से निर्णय लेने की कृपा की कि कल दिनांक 28.11.2018 को द्वितीय पाली की कार्यवाही से शेष कार्य दिवसों तक के लिए निलंबित निम्नलिखित माननीय सदस्य सर्वश्री सुबोध कुमार, मो. कमर आलम, दिलीप राय, सैयद खुर्शीद मोहम्मद एवं राधाचरण साह का निलंबन सदन की सहमति से तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है।

माननीय सदस्य, आपसे आग्रह है कि आप उन्हें सम्मान सहित बुलाकर अपने स्थान पर बैठावें।

(सभी माननीय सदस्यों को आमंत्रित कर स्थान ग्रहण कराया गया।)

इस अवसर पर माननीय सदस्य, डा. रामचन्द्र पूर्वे ने सीतामढ़ी जिले में अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति की हत्या के संबंध में अपनी बात रखनी चाही, जिसपर माननीय मंत्री, श्री श्रवण कुमार ने नियमापत्ति की। इसपर सत्तापक्ष एवं विपक्ष के माननीय सदस्यगण जोर-जोर से आरोप-प्रत्यारोप लगाने लगे। कुछ स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था।

**3. आसन का नियमन**

आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि जिन अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन के पटल पर रख दिया जाय।

4. **प्रश्नोत्तर काल**

**अल्पसूचित प्रश्न**

प्रश्न संख्या- 19 एवं 26 सदन पटल पर रखे गए।
शेष सभी अल्पसूचित प्रश्न अनागत हुए।

**तारांकित प्रश्न**

प्रश्न संख्या- 49, 53, 55, 57 एवं 58 सदन पटल पर रखे गए।
शेष सभी तारांकित प्रश्न अनागत हुए।

5. **औपचारिक कार्य**

1. **विधान सभा से स्वीकृत विधेयक का सदन की मेज पर रखा जाना**

   सचिव द्वारा बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 157 के अनुसरण में बिहार बिधान सभा द्वारा दिनांक 28.11.2018 की बैठक में यथापारित औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) विधेयक, 2018 की एक प्रति मेज पर रखी गयी।

   इसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि इस विधेयक पर 1.45 अपराह्न तक संशोधन लिये जाएंगे।

2. माननीय मंत्री, श्री श्रवण कुमार द्वारा बिहार विधान परिषद् के 184वें एवं 186वें सत्र से लंबित प्रश्नोत्तरों की सूची की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

इस बीच सदन के व्यवस्थित नहीं होने की स्थिति में आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने सदन को 2.30 अपराह्न तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।

**(अंतराल)**

इस अवसर पर माननीय सदस्य, डा. रामचन्द्र पूर्वे सहित राजद के माननीय सदस्यगण माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी पर बोलने लगे, अन्य प्रकार के नारे लिखे हुए पोस्टर दिखाते हुए जोर-जोर से बोलने लगे तथा सदन वेश्म में चले आए। विरोधी पक्ष एवं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने लगे। इस अवसर पर माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने

माननीय सदस्यों से आग्रह किया कि ध्यानाकर्षण के माध्यम से जनहित के महत्वपूर्ण विषय पर आज सरकार का जवाब होना है, इसलिए आप सबलोग स्थान ग्रहण कीजिए, बैठ जाइये, ध्यानाकर्षण होने दीजिए। सदन को चलाने में हम आपका सहयोग चाहते हैं। आज दो दिन से सदन बाधित है। मेरा आग्रह है कि विरोधी दल के पूर्वे जी और मिश्रा जी का भी ध्यानाकर्षण है। बहुत सारे लोगों ने ऐसे मामले उठाये हैं, जो जनहित से जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि ध्यानाकर्षण का कार्य चलने दीजिए। आसन से खड़े होकर अनुरोध के बावजूद यथावत् नारेबाजी जारी रही।

## 6. परिनियत कार्य

माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष 2016-17 का प्रतिवेदन **'राज्य का वित्त'** एवं **'राजस्व प्रक्षेत्र'** की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

## 7. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में आसन का नियमन

आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि आज की कार्यसूची में अंकित सभी ध्यानाकर्षण, प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को विचारार्थ सुपुर्द किया जाता है।

## 8. ध्यानाकर्षण

1. माननीय सदस्य, श्री संजीव श्याम सिंह द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की तैयारी हेतु बिहार राज्य के आवेदकों की नागरिकता प्रमाणित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया।

2. माननीय सदस्य, श्री संजय पासवान द्वारा मूलभूत सुविधा के अभाव में सरकारी बसों का परिचालन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से वक्तव्य नहीं रखा गया।

3. माननीय सदस्य, श्री कृष्ण कुमार सिंह द्वारा राज्य में गाड़ियों का निबंधन शुल्क पड़ोसी राज्यों के अनुरूप करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से वक्तव्य नहीं रखा गया।

4. माननीय सदस्य, श्री मनोज यादव द्वारा स्वयं एवं अपने परिवार की सुरक्षा हेतु एक चार का बल प्रतिनियुक्त करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से वक्तव्य नहीं रखा गया।

5. माननीय सदस्य, श्री तनवीर अख्तर द्वारा राज्य परिषद् के सदस्य एवं शिवहर जद(यू) के महासचिव श्री नरेन्द्र पटेल, पिता-श्री महेश पटेल, वार्ड नं०-5, शिवहर की सुरक्षा हेतु अंगरक्षक की प्रतिनियुक्ति के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से वक्तव्य नहीं रखा गया।

6. माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार द्वारा लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर प्रमंडल में योजनाओं के क्रियान्वयन में बरती गयी अनियमितता के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से वक्तव्य रखा गया।

7. माननीय सदस्य,श्री सतीश कुमार द्वारा पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत पहाड़पुर प्रखंड के पूर्वी सिसवा पंचायत के वार्ड नं०-9, केन्द्र संख्या-155 पर चयनित सेविका के चयन को रद्द करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया।

8. माननीय सदस्य, श्री सुमन कुमार द्वारा मधुबनी जिलान्तर्गत घोघरडीहा प्रखंड में बिहुल नदी पर सखुआ गाँव के पास स्लूईस गेट का निर्माण करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया।

9. माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी द्वारा राज्य के तैयार अस्पताल भवनों को सुसज्जित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से वक्तव्य सदन पटल पर नहीं रखा गया।

10. माननीय सदस्य, श्री दिलीप राय द्वारा बाल विकास परियोजना कार्यालय परसौनी, जिला-सीतामढ़ी को निजी मकान से स्थानान्तरित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया।

11. माननीय सदस्य, श्री नीरज कुमार द्वारा मुख्यमंत्री फसल बीमा सहायता योजना के तहत् नगर परिषद् एवं नगर पंचायत किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने एवं उसका लाभ देने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया।

**9. राजकीय विधेयक**

**औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) विधेयक, 2018**

श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार हो।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) विधेयक, 2018 पारित हो।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

विधेयक पर बिना किसी सिफारिश के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

**10. निवेदन**

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री संजीव श्याम सिंह
2. श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव

3. श्री केदारनाथ पाण्डेय
4. श्री नीरज कुमार
5. श्री रामचन्द्र भारती
6. श्री वीरेन्द्र नारायण यादव
7. श्री सतीश कुमार
8. श्री संजय कुमार सिंह

माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन ' निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

तत्पश्चात् सदन के व्यवस्थित नहीं होने की स्थिति में माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने सदन की कार्यवाही कल शुक्रवार, दिनांक 30.11.2018 को 11.00 पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।

**तत्पश्चात् परिषद् की बैठक शुक्रवार, दिनांक 30.11.2018 को 11.00 पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।**

29/11/2018

**(सुभीम शर्मा)**
मुख्य प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद् ।

ज्ञापांक- 1775 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 29.11.2018

**प्रतिलिपि** : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार
29-11-2018

**(प्रमोद कुमार)**
वरीय प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद् ।